संख्या-15/2015/808/49-1-2015-59(मिस)/14टीसी

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2015

विषय- उ0प्र0 के 06 जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-1,2 एवं 3 में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-3122/अधि0-9/स्टा0पै0 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार उ0प्र0 के 06 जिला सहकारी बैंकों में वर्ग-1,2 एवं 3 के 160 रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 जिसमें भर्तियों पर रोक लगायी गयी है, से शिथिलता प्रदान की जाती है:-

क्रम सं0	नाम जिला सहकारी बैंक	वर्ग-1	वर्ग-2	वर्ग-3
1-	बाराबंकी	1	12	31
2-	लखनऊ	1	9	13
3-	उन्नाव	0	8	24
4-	मऊ	1	7	9
5-	बदायूँ	2	8	16
6-	मथुरा	3	2	13
[redacted]	कुल योग	8	46	106

3- प्रश्नगत पदों पर भर्ती के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संबंधित बैंक की आर्थिक स्थिति/संसाधनों के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965/उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये सुनिश्चित की जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न आये। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अनुदान/वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कृपया तदनुसार प्रकरण में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2015/808/49-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव/महाप्रबन्धक, संबंधित जिला सहकारी बैंक,उ0प्र0।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/कार्मिक अनुभाग-2/कार्मिक अनुभाग-3
3- सहकारिता अनुभाग-2

आज्ञा से,

(जनार्दन)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।